भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.450
02 दिसंबर, 2025 को उत्तरार्थ

विषय–नासिक में फसल का नुकसान
450. श्री भास्कर मुरलीधर भगरेः
क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या सरकार को जानकारी है कि इस साल लगातार और बेमौसम बारिश से महाराष्ट्र के नासिक जिले में फसल का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, जिससे प्याज, अंगूर और सब्ज़ी उगाने वाले किसान बुरी तरह प्रभावित हुए हैं, यदि हाँ, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है;
(ख) क्या उक्त जिले में फसल के नुकसान और प्रभावित किसानों की संख्या का अनुमान लगाने के लिए कोई आकलन किया गया है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार का महाराष्ट्र, खासकर नासिक जिले के किसानों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए तुरंत कोई वित्तीय सहायता या विशेष राहत पैकेज देने का विचार है; और
(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (ग): जमीनी स्तर पर राहत सहायता के वितरण सहित आपदा प्रबंधन की प्राथमिक ज़िम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की है। राज्य सरकारें प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित मदों और मानदंडों के अनुसार, अपने पास पहले से उपलब्ध राज्य आपदा प्रक्रिया कोष (एसडीआरएफ) से राहत उपाय करती हैं। केंद्र सरकार राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता करती है और अपेक्षित रसद एवं वित्तीय सहायता प्रदान करती है। 'गंभीर प्रकृति' की आपदा की स्थिति में, निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) से अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें एक अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दल (आईएमसीटी) द्वारा दौरा आधारित आकलन शामिल है।

महाराष्ट्र राज्य सरकार को एसडीआरएफ के तहत वित्तीय वर्ष 2025-2026 के लिए 4176.80 करोड़ रुपये (3132.80 करोड़ रुपये केंद्रीय हिस्सा + 1044.00 करोड़ रुपये राज्य का हिस्सा) की राशि आवंटित की गई है, जिसमें से केंद्रीय हिस्से के रूप में 1566.40 करोड़ रुपये की पहली और दूसरी किस्त राज्य को जारी की गई है।

राज्य के प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर नुकसान का मौके पर आकलन करने हेतु दिनांक 16.10.2025 को एक आईएमसीटी का गठन किया गया था। आईएमसीटी ने दिनांक 03.11.2025 से 05.11.2025 तक प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। आईएमसीटी से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर, स्थापित प्रक्रिया के अनुसार, एनडीआरएफ से अतिरिक्त वित्तीय सहायता पर विचार किया जाता है।

गृह मंत्रालय को एनडीआरएफ के अंतर्गत सहायता के लिए महाराष्ट्र राज्य सरकार से कोई औपचारिक ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ): राज्य सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, कुल 3,33,739 हेक्टेयर क्षेत्र लगातार बारिश/बेमौसम बारिश/भारी बारिश/बाढ़ से प्रभावित है। उक्त आपदाओं से 4,99,571 किसान प्रभावित हुए हैं।

महाराष्ट्र सरकार ने प्रभावित क्षेत्र का सर्वेक्षण कराया है और किसानों को राहत एवं मुआवज़ा प्रदान किया है। नासिक जिले के प्रभावित किसानों के लिए कुल 35840.07 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।

जून-सितंबर 2025 के दौरान आपदाओं से प्रभावित किसानों को रबी मौसम के लिए बीज और अन्य संबंधित आदानों के लिए अधिकतम 3 हेक्टेयर तक 10,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता प्रदान की जाती है।

*****